

समाहरणालय, बक्सर

(आपूर्ति शाखा)

पत्रांक 04-295/आ0
दिनांक / / 2019
ई-मेल - dm-buxar.bih@nic.com



फोन नं०-(06183)222335(R),222336(O)
मो० नं०- 8544426112
ई-मेल - dsobuxar1@gmail.com

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

सेवा में,

अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर/डुमरौव।
नजारत उपसमाहर्ता, बक्सर।

विषय :- मुख्य शीर्ष 3456 सिविलपूर्ति, उप मुख्यशीर्ष 00 लघु शीर्ष 001 निदेशन तथा प्रशासन, उपशीर्ष 0002 जिला प्रभार विपत्र कोड-सं० 18-3456000010002, के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कुल 1750000 रु० (सतरह लाख पचास हजार रुपया) मात्र प्राप्त आवंटन का उपावंटन एवं व्यय की स्वीकृति।

प्रसंग :- सरकार के संयुक्त सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक प्र०5(2)बजट-(स्था० एवं प्रति० व्यय)-03/2018- 67 (बजट)/खाद्य, पटना-15 दिनांक 12-03-2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक, प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2018-19 में विषयांकित शीर्ष के तहत कुल 1750000 रु० (सतरह लाख पचास हजार रुपया) मात्र प्राप्त हुआ है, जिसे परिषिष्ट-I, तालिका-'क' एवं 'ख' में अंकित विवरणी के अनुसार उपावंटित किया जाता है।

1. व्यय वहन मुख्यशीर्ष 3456, सिविल पूर्ति, उपमुख्य शीर्ष 00, लघुशीर्ष 001 निदेशन तथा प्रशासन, उपशीर्ष 0002 जिला प्रभार, विपत्र कोड संख्या-18-3456000010002, के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए उपबंधित राशि के अन्तर्गत होगा।
2. यह उपावंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/वि० दिनांक 17.04.1998 एवं पत्रांक 354/वि० दिनांक 28.03.2018, पत्र संख्या-3244 दिनांक 04.05.2018 एवं पत्रांक 6903 दिनांक 13.09.2018 एवं पत्रांक 257 दिनांक 26.02.2019 में निहित निदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
3. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अपने अधीनस्थ कार्यालयों को अपने स्तर से उपावंटन निर्गत करेंगे तथा इसकी सूचना विभाग तथा संबंधित कोषागार पदाधिकारी को भी देंगे।
4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस आवंटन से न्यायिक मामलों में संबंधित वादों एवं सेवा निवृत्त आपूर्ति पदाधिकारी/कर्मचारी के बकाया वेतनादि का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर करेंगे ताकि वैसे मामलों में न्यायालय वाद का सामना नहीं करना पड़े।
5. इस आवंटन से स्वीकृत बल के अधीन कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मचारियों का ही भुगतान किया जाएगा।
6. संविदा सेवाएँ पर नियोजित कर्मियों का मानदेय व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ मद से देय होगी।

7. वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय नहीं हो सकने वाली राशि का प्रत्यपण ससमय अवश्य कर दिया जाय।

अनुलग्नक :-यथोक्त।

विश्वासभाजिम

R. Singh 22/03/19

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

ज्ञापांक 04-295/आ0 बक्सर, दिनांक 23/3/2019

- प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, बक्सर/आई0 टी0 मैनेजर, बक्सर को सूचनार्थ एवं जिले के बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, बक्सर/डुमरॉव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सरकार के विशेष सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक प्र05(2)बजट-(गै0यो0)-02/2017- 67 (बजट)/खाद्य, पटना-15 दिनांक 12-03-2019 के आलोक में सादर सूचनार्थ समर्पित।

R. Singh 22/03/19

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत विभिन्न मदों में उपावृत्ति की गयी राशि

परिशिष्ट-1

मुख्यशीर्ष 3456-सिविल पूर्ति, लघु शीर्ष 001-निर्देशन एवं प्रशासन उपशीर्ष 0002-जिला प्रभार, मांग संख्या 18, विपत्र कोड संख्या N 3456000010002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए व्यय हेतु वेतनादि अन्य मदों में सरकार से प्राप्त आवंटन का उपावृत्तन

तालिका 'क'

क्र0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	26 01 विज्ञापन एवं प्रकाशन	16 01 प्रकाशन एवं मुद्रण	20 03 प्रशिक्षण व्यय	28 02 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ	13 05 विधि प्रभार	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जिला नजारात उप समाहर्ता, बक्सर	0.00	100000.00	15000.00	100000.00	0.00	215000.00
2	अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर	200000.00	300000.00	15000.00	200000.00	2500.00	717500.00
3	अनुमण्डल पदाधिकारी, जुमरॉव	200000.00	400000.00	15000.00	200000.00	2500.00	817500.00
	कुल योग	400000.00	800000.00	45000.00	500000.00	5000.00	1750000.00

22/03/19
R. Singh
जिला पदाधिकारी,
बक्सर।